

# पत्रकार सुबोध जैन के घर देर रात घुसकर अभद्रता करने वालों पर होगी कार्रवाई



कोटा। वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जैन के स्टेशन स्थित आवास पर 21 मार्च की रात्रि जबरन घुसने वहां मौजूद महिलाओं से अभद्रता करने उनके पुत्र को गिरफ्तार करने के मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यह बात पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से आईजी रविदत्त गौड़ ने कही। हालांकि पत्रकार दोषियों को तुरंत निलंबित करने की मांग कर रहे थे।

पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित करने वह जबरन मुकदमा लादने के मामले को लेकर के पत्रकार एकजुट हो गए इसी क्रम में शुक्रवार को शॉपिंग सेंटर स्थित रोटरी बिनानी सभागार में वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सभी ने एक स्वर में पत्रकार सुबोध जैन के यहां पुलिस द्वारा जिस प्रकार से गुंडागर्दी की गई उसकी उपासना की गई साथ ही देर रात्रि को जबरन मकान में घुसने वह महिलाओं से अभद्रता और उनके बेटे को धारा 107 151 में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की है इस अवसर पर प्रद्युमन शर्मा धीरज गुप्ता तेज बद्री प्रसाद गौतम गजेंद्र व्यास अनिल भारद्वाज रजत खन्ना कयूम अली अख्तर खान अकेला केएल जैन सुनील माथुर बीएस झाला सहित अन्य पत्रकारों ने अपने विचार रखें वह पुलिस की इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर पीड़ित वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जैन ने पुलिस द्वारा 21 मार्च की रात को की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी दिया उन्होंने बताया कि जिस समय वह घर पर नहीं थे और एक बच्ची की जान बचाने के लिए ब्लड देने के लिए सुधा अस्पताल गए हुए थे पीछे से पुलिस के इन अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंच कर घरवालों से अभद्रता की।

वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जैन ने बताया कि 40 साल के पत्रकारिता जीवन में उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज नहीं है वे सामाजिक जीवन जी रहे हैं एक धार्मिक संस्थान पर ताला लगाने के मामले को लेकर के चल रहे विवाद में पुलिस ने बिना कोई रिपोर्ट दर्ज किए बिना सर्च वारंट लिए वह बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के उनके घर पर उनके अनुपस्थिति में पहुंचकर सत्संग घर में घुसकर वहां मौजूद उनके परिवारजनों से अभद्रता की पूरे मकान को खंगाल दिया उलट-पुलट कर दिया जिस प्रकार से किसी अपराधी के मकान को करते हैं उनके बेटे को जो कि कोटा में रहता ही नहीं है कुछ दिन के लिए कोटा आया हुआ है धारा 107 101 ऑन में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने कुछ लोगों से मिलकर के यह है साजिश रची थी जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बैठक के बाद सभी पत्रकारों ने एक निर्णय लिया कि इस संबंध में आईजी रविदत्त गौड़ को एक ज्ञापन दिया जाए जिसमें दोषियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की जाए अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आंदोलन के लिए एक समिति का गठन किया गया। जिस के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन शर्मा को बनाया गया। यहां से सभी पत्रकार आईजी कार्यालय पहुंचे आई जी से मिलने को ज्ञापन देने की मांग की उनको मैसेज करवाया लेकिन, आईजी ने पहले केवल 5 फिर 10 जनों से ज्यादा से मिलने से इंकार कर दिया। बाद में कहा कि वह बाहर ही आ रहे हैं पत्रकार आधा घंटे तक बाहर उनका इंतजार करते रहे आखिर में जब पत्रकार वहां से खाना होने लगे तब आईजी रविदत्त गौड़ ने उन्हें अपने कक्ष में बातचीत के लिए बुलाया।

आईजी रविदत्त गौड़ को वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन शर्मा धीरज गुप्ता तेज बीएस झाला हेमंत शर्मा हरि बल्लभ मेघवाल दिनेश मामा सुनील माथुर केएल जैन कयूम अली श्याम रोहिडा रफीक पठान सलीम शेरी प्रणय विजय मोनी सोनी जग्गू सिंह धाकड़ गुल मोहम्मद मुल्तानी रमेश गांधी प्रकाश गौतम गजेंद्र व्यास गिरीश गुप्ता मनोहर पारीक नूर अहमद पठान सहित अन्य ने पूरी घटना का ब्योरा दिया जिस पर आईजी ने कहा कि वे जांच करवा कर के संबंधित दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करेंगे वही पत्रकारों ने कहा कि इस मामले में कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा इसी क्रम में 1 अप्रैल को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से भी मिला जाएगा।